(145)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

III/पुनर्विलोकन/सतना/भू.रा/2017/6310

01. मुन्नालाल तनय स्व. रामानुज त्रिपाठी

02. कोदू प्रसाद तनय स्व. रामानुज त्रिपाठी

03. रामशिरोमणि तनय स्व. रामानुज त्रिपाठी

सभी निवासी ग्राम कलवलिया तह.बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.............

....निगराकार/आवेदकगण

बनाम

01. रामविश्वास तनय राममिलन त्रिपाठी

02. भोला प्रसाद तनय राममिलन त्रिपाठी जरिये पत्नी बिट्टी देवी तिवारी

03. गोकुल प्रसाद तनय राममिलन त्रिपाठी

04. अरूण कुमार तनय रामविश्वास त्रिपाठी

05. यमुना प्रसाद तनय रामदेव ब्रा.

06. भोला प्रसाद तनय राजरूप

07. राजाभइया तनय रामावतार

08. नरेन्द्र कुमार तनय अनुसुइया प्रसाद

09. रामलाल तनय रामनाथ

10. छेदीलाल तनय जयनारायण

11. राजधर तनय जयनारायण

सभी निवासी ग्राम कलवलिया तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.......

....गैरनिगराकारगण/अनावेदकगण

पुर्नबिलोकन आवेदन पत्र

निगरानी क्र.–1802/2/16 मे पारित

आदेश दिनांक 25.09.17

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / पुर्नावलोकन / सतना / भू.रा / 2017 / 6310

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1802–दो / 2016 में पारित आदेश दिनांक 25.9.17 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक दो / पुर्नावलोकन / सतना / भू.रा / 2017 / 6310 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1802–दो / 16 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 25.9.17 से किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक दो / पुर्नावलोकन / सतना / भू. रा / 2017 / 6310 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण क्रमांक दो/पुर्नावलोकन/सतना/भू.रा/2017/6310 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य